रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन,"ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(वि) अलेसे-III / मेरिट नंबर –m-2781 / 2013 / 5805 दिनांक :- 31-07-2020

श्री विपिन शर्मा
निवासी–2डी2,विकास नगर बून्दी,राजस्थान।
पिन कोड– 323001

विषय– कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के संबध में अन्तिम अवसर हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के आदेश सख्या 34 / 2019–20 दिनांक 12.03.2020 द्वारा आपको कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान कर उक्त आदेश जारी होने की तिथी से 15 दिवस की अवधि में उपकोषालय (पेंशन) जयपुर में कार्यग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया था।

विभागीय आदेश के क्रम में आपके पूर्व कार्यालय उपायुक्त,राज्य कर वाणिज्यिक कर विभाग,वृत्त–बून्दी द्वारा अपने पत्र क्रमांक उपायुक्त / सस्थां / बून्दी / 2019–20 / 164 दिनांक 20.03.2020 के द्वारा अत्यावश्यक राजकीय कार्य संम्पादित हेतु आपकी कार्यग्रहण अवधि में 60 दिवस का विस्तार करने का अनुरोध किया गया। उक्त अवधि समाप्त होने के उपरान्त विभाग के **पत्र क्रमांक 5598 दिनांक 23.06.2020 द्वारा आपको 07 दिवस की अवधि में** कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यालय उपकोषालय (पेंशन) जयपुर में कार्यग्रहण हेतु पुनः लिखा गया किन्तु आपके द्वारा विभागीय आदेश की पालना नहीं की गई है,ना ही इस सम्बध में कोई सूचना इस विभाग में प्रस्तुत की गई है।

निदेशालय के उक्त आदेश के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय आदेश सख्या 34 / 2019–20 दिनांक 12.03.2020 की पालना में उक्त पत्र प्राप्ति के 03 दिवस की अवधि में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यालय उपकोषालय (पेंशन) जयपुर में कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावे अन्यथा यह मानते हुए कि आप उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है आपके उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वि) अलेसे-III / मेरिट नंबर – m-2781 / 2013 / 5805 दिनांक :- 31-07-2020

1. उपायुक्त,राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग,वृत्त–बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि श्री विपिन शर्मा को तुरन्त कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय मे कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उप निदेशक एसीपी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित / निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)